न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 377/2021 (GCMS 2021/435)

प्रार्थीगण

1. लच्छाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट सा. धनकोली तहसील डीडवाना हाल निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला (राज.) फौत के कायम मुकाम :–

1/1– सुजादेवी पत्नि स्व. लच्छाराम

1/2– बन्नाराम पुत्र स्व. लच्छाराम

1/3– भंवरलाल पुत्र स्व. लच्छाराम

1/4– कुम्भाराम पुत्र स्व. लच्छाराम

1/5– प्रभूराम पुत्र स्व. लच्छाराम (फौत) के कायम मुकाम :–

1/5/1– मीना देवी पत्नि स्व. प्रभूराम

1/5/2– कविता पुत्री स्व. प्रभूराम

1/5/3– आदित्य पुत्र स्व. प्रभूराम

1/6 – रतनाराम पुत्र स्व. लच्छाराम (फौत) के कायम मुकाम :–

1/6/1– चुन्नीदेवी पत्नि स्व. रतनाराम

1/6/2– मन्जुदेवी पुत्री स्व. रतनाराम

1/6/3– संजुदेवी पुत्री स्व. रतनाराम

1/6/4– अंजुदेवी पुत्री स्व. रतनाराम

1/6/5– रेखा पुत्री स्व. रतनाराम

1/6/6– राजेन्द्र पुत्र स्व. रतनाराम

1/6/7– अजीत पुत्र स्व. रतनाराम

1/7– जेठी देवी पुत्री स्व. लच्छाराम

1/8– चूकीदेवी पुत्री स्व. लच्छाराम

1/9– सोहनी देवी पुत्री स्व. लच्छाराम जाति जाट निवासीयान धनकोली हाल राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रभुदयाल पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी
2. शाखा प्रबन्धक राज.मरूधरा.ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनिसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत दिलाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251 (A) राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

श्री अशोकपुरी एंव श्री मुरलीधर शर्मा अधि. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

Signature Not Verified

आदेश

दिनॉक :– 04-07-2023

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण का सार [illegible] ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा [illegible] 1194/722 रकबा 2.43 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त स्वामित्व की [illegible]ई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपरोक्त खसरा नम्बर में प्रार्थीगण ने की भूमि में रहवासी ढ़ाणी बना रखी है तथा सिंचाई के लिये कुआ बना रखा है तथा काश्त करता आ रहा है व सपरिवार निवास करता आ रहा है, प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिये मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता नही है, जिससे प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता नही है, उपरोक्त प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 1194 / 722 में आने जाने के लिये मौके पर किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता नही है, जिससे प्रार्थीगण को भारी दुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि में आने–जाने मवेशी, छकड़ा व ट्रेक्टर लाने व ले जाने के लिये रास्ता मौके पर नही होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है इसलिये भूमि में आने जाने मवेशी, छकड़ा व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये रास्ता दिलवाया जाना अति आवश्यक है, प्रार्थीगण की भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 1194 / 722 में आने जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये एक मात्र खेत खसरा नम्बर 734 की उत्तरी सींव के पास–पास 6 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता आगे प्रार्थीगण के खते खसरा नम्बर 1194 / 722 की भूमि में प्रवेश करता है तथा इस रास्ते से मौके पर आवागमन हो रहा है तथा यह रास्ता वर्षो–वर्ष पुराना कदिमी रास्ता है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नही है और यह रास्ता सबसे नजदीक पड़ता है इसलिये प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1194 / 722 में आने जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी व कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 734 की उत्तरी सींवं के पास–पास 6 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है जो नजरी नक्शा से मार्क **A, B** से दर्शाया गया है, प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये गये खेत खसरा नम्बर 734 वाके राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी में से मार्क **A, B** की प्रार्थीगण मांग करते है जिसके एवज में सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अप्रार्थी सं. 1 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 1194 / 722 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि में आने जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी व कब्जा सुदा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 734 की उत्तरी सींव के पास–पास 6 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता का जो नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क **A, B** के अनुसार कटाणी रास्ता कायम किया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया, जिससे जवाब अवसर अप्रार्थी सं. 1 का बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उसके विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा की जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 162 खसरा नम्बर 734 एवं खाता संख्या 395 खसरा नम्बर 1194/722 की प्रस्तुत की।

प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी लच्छाराम की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया तथा प्रार्थीगण सयोजित किया गया। दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उसके अधिवक्ता श्री अशोकपुरी के अलावा श्री मुरलीधर शर्मा उपस्थित आये , जिन्होने वकालतनामा एवं फार्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेजो की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की एवं लिखित बहस के साथ राजस्व मण्डल राज. एवं राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय के उद्वरण प्रस्तुत किये।

तहसीलदार कुचामनसिटी अपने पत्रांक/भू.अ./2022/1113 दिनॉक 14.06.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि का मौका देखा गया तथा नजरी नक्शा तैयार किया गया, जिसके अनुसार बिन्दू संख्या **A** से **B** बिन्दू की दूरी 126 मीटर है तथा बिन्दू संख्या **C** से **D** की दूरी 120 मीटर है, प्रार्थीगण द्वारा बिन्दू संख्या **A** से **B** के रास्ता की मांग की गई है, **A** से **B** बिन्दू से खसरा नम्बर 734 मे ही 126 लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई कुल 756 वर्ग मीटर भूमि बनती है, इसी प्रकार **C** से **D** बिन्दू मे खसरा नम्बर 727 में **12 X 6 = 72,** खसरा नम्बर 725 में से **64 X 6 = 384,** खसरा नम्बर 724 में से **44 X 6 = 264,** कुल रकबा 720 वर्ग मीटर भूमि बनती है, प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 734 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे अपने खेत खसरा नम्बर 1194/722 में आते जाते है मौके पर रास्ते के निशानात बने हुए है, प्रार्थीगण खसरा नम्बर 734 में से काफी वर्षो से आते जाते रहे है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई कर खारिज किया गया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार एंव फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 में अंकित **A** से **B** बिन्दू से खसरा नम्बर 734 मे ही 126 लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई कुल 756 वर्ग मीटर रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी वकील ने मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 में अंकित **C**से **D** बिन्दू अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने का बहस दौरान कथन किया है तथा लिखित बहस में बताया है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1194/722 में आने जाने के लिए 3 वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 734 मे से किसी भी प्रकार का कोई रेकर्डेड रास्ता नही है और न ही प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता वर्षो से उपयोग किया जा रहा है, धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना से वंचित कृषक को रास्ता उपलब्ध करवाना है इस धारा की आड़ में वैकल्पिक रास्ता होते हुए नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है, सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराया जावें, खसरा नम्बर 949/740, 927/739 के मध्य से एक वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगणो के अन्य खेत जिसके खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

737 में जाता है उक्त रास्ते पर प्रार्थीगणों द्वारा बकायदा एक लोहे की फाटक लगाई हुई है, खसरा नम्बर 737, 1193/722 तथा 1194/722 प्रार्थीगणों की पैतृक कृषि भूमिया है तथा उक्त खसरान के खातेदार एक ही वंश वंशावली के सदस्य है जिस कारण धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है, अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा मौखिक बहस एवं लिखित बहस पर अध्ययन किय गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1194/722 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 734 मे से रास्ता चाहा गया है, जिसके लिय मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि दर्शाये गये खसरा मे से किसी प्रकार का रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित नही है, एवं प्रस्तुत नजीर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की अपील संख्या 94/2014 गोपीराम बनाम प्रभूराम किसी भी रूप में इस पर चस्पा नही होती है तथा माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर की नजीर रिविजन/टीए/7512/2014/नागौर/प्रभूराम बनाम गोपीराम भी इस प्रकरण में चस्पा नही होती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा किये गये कथन बहस अनुसार खसरा नम्बर 734 में से आने जाने एवं वर्षो से रास्ते के उपयोग के तथ्य उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्द मौका अनुसार साबित होते है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 मे दर्शित रास्ता **C** से **D** की रिपोर्ट भी न्यायालय द्वारा नही चाही गई तथा नही खसरा नम्बर 737, 725, 724 के खातेदारान को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाये गये है, यदि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में उपरोक्त खसरा नम्बर 737, 725, 724 के खातेदारान को अप्रार्थीगण पक्षकारान संयोजित किये जाते तो रास्ते बाबत विचार किया जाता। अतः रास्ता **C** से **D** के वैकल्पिक रास्ते पर किसी भी तरह से विचार नही किया जा सकता। प्रस्तावित **C** से **D** रास्ते की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया जाता है तथा फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 में अंकित बिन्दू **A** से **B** को अंकित खसरा नम्बर 734 मे उतरी सींव के सहारे–सहारे 126 मीटर लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई कुल 756 वर्ग मीटर का रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 1194/722 अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 में अंकित **A** से **B** बिन्दू से खसरा नम्बर 734 मे ही 126 लम्बाई तथा 6 मीटर चौड़ाई कुल 756 वर्ग मीटर जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शा[illegible] खातेदारी भूमि में पहुंचने तक सही रहेगा। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट एवं पत्रा[illegible]पलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–[illegible] होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश [illegible] जाते है। कि वह आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज कर पालना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (seal)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज) के खसरा नम्बर 1194 / 722 में आने–जाने व मवेशी, गाड़ी, छकड़ा व ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 734 में से मार्क A से B तक लम्बाई 126 x चौड़ाई 6 मीटर =756 वर्गमीटर अर्थात 0.0756 हैक्टर भूमि मौका रिपोर्ट दिनॉक 13.06.2022 में अंकित अनुसार राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण से नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करें एव उक्त राशि को अप्रार्थी 1 को उसके हक हिस्से की कम हुई भूमि के एवज में अदा करे। मौका रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 04/07/2023 को सरे इजलास सुनाय गया।

(मनोज, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 13/06/2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/र.अ./02 दिनांक 28/09/2021 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 377/2021 अनुवान बच्छाराम बनाम प्रभुदयाल राणासर वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A R.T. Act रास्ता बाबत में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु ग्राम राणासर के खसरा नं. 1194/722 रकबा 2.43 हैक्टेयर के मौके पर पहुंचा। वादीगण बच्छाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा ख.नं. 1194/722 रकबा 2.43 है. में इनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर खातेदार दर्ज हो चुके हैं। मौके पर उपस्थित भंवरलाल, धनाराम पि. बच्छाराम, चुनीदेवी पत्नि रतनाराम व अन्य मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में खसरा 1194/722 के सबसे नजदीकतम रास्ता का मौका देखा गया जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है

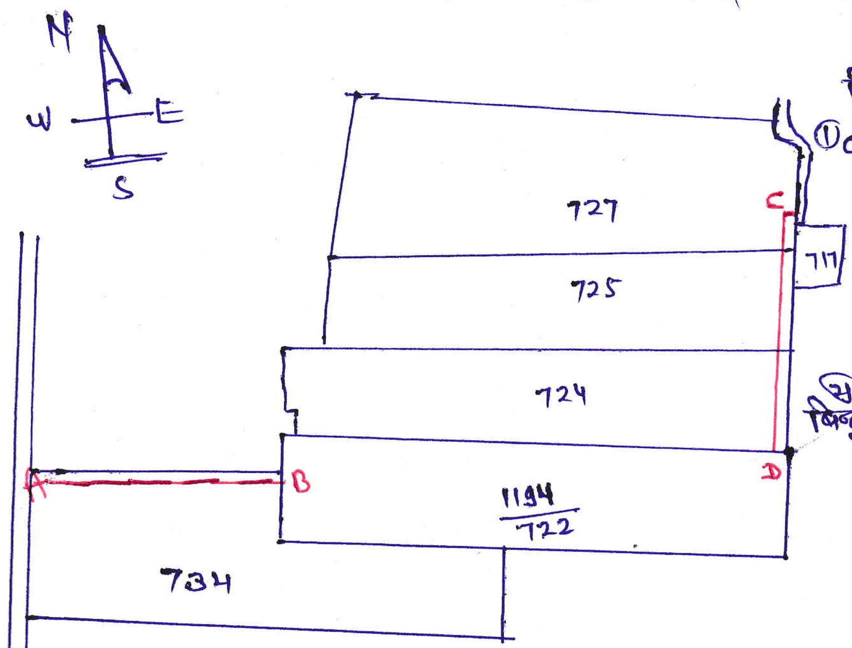

① बिन्दु C-D

विवरण दूरी

खसरा	लम्बाई x चौड़ाई
727	12x6=72
725	64x6=384
724	44x6=264
योग	120x6=720

② बिन्दु A-B 734 126x6=756

राणासर 9
14.6.22

उपरोक्त नजरी नक्शा में दर्शाये गये बिन्दु सं. A से B बिन्दु की दूरी 126 मीटर है तथा बिन्दु सं. C से D की दूरी 120 मीटर है वादीगण द्वारा बिन्दु सं. A से B के रास्ता की मांग की गई है। A से B बिन्दु से खसरा 734 में से 126 मीटर लम्बाई तथा 6 मी. चौड़ाई = 126x6 = 756 व.मी. भूमि बनती है इसी प्रकार C से D बिन्दु में खसरा 727 में 12x6=72, खसरा 725 में से 64x6=384, खसरा 724 [illegible] x6=264 कुल 720 व.मी. भूमि बनती है। वादी गण वर्तमान में [illegible] के सहारे-सहारे अपने खेत खसरा 1194/722 में आते-जाते हैं मौके पर रास्ते [illegible] मौतबिरान [illegible] के अलावा वादीगण खसरा 734 में से काफी वर्षों से आते-जाते रहे हैं। फर्द मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

ह.
13/06/2022
ILR सिलिया

ह. निरमाराम
ह. निरमाराम S/o अनुराम मेघवाल नि. राणासर

LTI
गोमाराम S/o रामदेव मेघवाल नि. राणासर

LTI धनाराम

चुन्नी देवी
RTI चुनीदेवी